

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं.218  
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

**डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन**

\*218. श्री के. सुधाकरनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016 से आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) भूमि अभिलेख का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं, जबकि आरभिक लक्ष्य मार्च, 2024 था;
- (ग) डिजिटलीकृत प्रणाली में डेटा की हेराफेरी और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए विद्यमान सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार की भूमि के डिजिटल अभिलेख में विवादों या अशुद्धियों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग

(क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत वर्ष 2016 से आवंटित निधियों और उनके उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग
2016-17	150.00	140.64	138.53
2017-18	150.00	100.00	97.75
2018-19	250.00	145.00	68.09
2019-20	150.00	50.00	43.77
2020-21	238.65	238.00	225.00
2021-22	150.00	250.00	250.00
2022-23	239.25	239.25	239.25
2023-24	195.75	125.00	124.39
2024-25 (30.11.2024 तक)	141.00	141.00	67.53
<b>कुल</b>	<b>1664.65</b>	<b>1428.89</b>	<b>1254.31</b>

(ख) भारत सरकार देश में भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण तथा कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डीआईएलआरएमपी को पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 01.04.2021 से 31.03.2026 तक बढ़ाया गया है। अब तक, देश में पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख को छोड़कर, भूमि अभिलेखों (अधिकारों के अभिलेखों) के रजिस्ट्रीकरण का 98.50% कार्य पूरा किया जा चुका है।

भूमि अभिलेखों को शत प्रतिशत डिजिटलीकृत करने में विलंब के कारण:

- i. पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व के मुद्दों के कारण अन्य राज्यों की तरह भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और लद्दाख ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है।
- ii. कुछ राज्यों में गैर-भूमि क्षेत्र होने के कारण कोई भूमि अभिलेख नहीं है।

- iii. कुछ राज्यों में बंदोबस्त/चकबंदी की प्रक्रिया चक्रीय होती है जिस दौरान डिजिटलीकरण का कार्य रुक जाता है।
- iv. कुछ राज्यों में शहरी और परिनगरीय क्षेत्रों में अधिकारों के अभिलेखों को अंतिम रूप देने में विलंब होता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लेन-देन किया जाता है।

(ग) डिजिटलीकृत प्रणाली में डेटा की हेराफेरी और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय विद्यमान हैं जैसे:-

- i. डाटाबेस तथा दस्तावेज़ साइनिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग,
- ii. सर्वर्स में फायरवॉल प्रोटेक्शन,
- iii. भूमि अभिलेख एप्लिकेशनों का आवधिक सुरक्षा ऑडिट,
- iv. डाटा ट्रांसफर के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग,
- v. अनाधिकृत डाटा एक्सेस को रोकने के लिए ऑडिट ट्रैल

इसके अलावा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), दिल्ली ने टंकित दस्तावेज़ में आधार संख्या और पैन यदि इंग्लिश वर्णमाला और अंकों में हों, तब चाहे दस्तावेज़ की भाषा कोई भी रहे और यह संवेदनशील सूचना दस्तावेज़ में कहीं भी स्थित हो वहाँ आधार संख्या, पैन, क्यूआर कोड और फिगरप्रिंट्स की मास्किंग के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (एआई-निबृत) तैयार किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके रजिस्ट्रीकरण प्रणालीयों में इस सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) भूमि अभिलेखों का रखरखाव सहित भूमि तथा भूमि राजस्व राज्य का विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की क्रम संख्या 18 तथा 45 पर सूचीबद्ध है जिसके अंतर्गत भूमि और भूमि राजस्व राज्य विशिष्ट अधिनियमों/नियमों/विनियमों द्वारा शासित होता है। डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों में विवादों अथवा अशुद्धियों का समाधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है और अधिकतर राज्यों में उनके भूमि राजस्व अधिनियमों तथा मैन्यूअल्स में भूमि अभिलेख डाटा में अशुद्धियों को दूर करने का उपबंध है। इसी प्रकार, अधिकतर राज्यों के पास भूमि से संबंधित मामलों के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली भी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*